

न्यायालय :- वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय — बैहर

S.T.No./44/2017
Filling No. ST/99/2017
CNR-MP5005-000-242-2017
संस्थित दिनांक—05.01.2015

म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर
जिला—बालाघाट अभियोजन।

// // विरुद्ध // //

संजू मेरावी पिता श्री उदेसिंह मेरावी
उम्र 21 साल निवासी—ग्राम अडोरी चौकी पाथरी
थाना मलाजखण्ड जिला—बालाघाट अभियुक्त।

=====

श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते अभियोजन।
श्री जी.एल.गौतम वास्ते अभियुक्त—संजू।

=====

निर्णय

(आज दिनांक 28 अप्रैल 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 01.10.14 से दिनांक 05.10.14 के मध्य दक्षिण ग्राम सोनगुड्डा थाना रूपझर से अवयस्क अभियोक्त्री (जिसका नाम रेसियो *Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684* तथा *Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.*) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) को उसके अभिभावकगण की सम्मति के बिना ले जाया जाकर व्यपहरण करने तथा उसे शादी का प्रलोभन देकर उसे व्यपहरित कर अपने ग्राम अडोरी ले जाकर उसे अयुक्त संभोग करने के लिये उत्प्रेरित करने एवं उक्त अवधि में उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक बलात्संग करने का आरोप है एवं पाक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत उसके उपर पेनीट्रेटिव सेक्सुएल एसाल्ट कारित करने का भी आरोप है।

2. अभियोजन मामला यह है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री लगभग 16 वर्षीय अवयस्क बालिका थी तथा दिनांक 01.10.14 को वह शाम को अपने घर से मिसिंग हो गई थी, जिसके संबंध में अभियोक्त्री के अभिभावकगण द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करायी गई, बाद में अभियोक्त्री आरोपी के साथ दस्तयाब हुई तथा दस्तयाब होने पर अभियोक्त्री ने अभिभावकगण से शिकायत किया कि आरोपी ने उसे ग्राम अढोरी में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया एवं उसका शारीरिक शोषण किया। दस्तयाब पश्चात अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कथन हेतु प्रेषित किया गया तथा आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर सम्यक विवेचना उपरांत अभियोगपत्र सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपार्पण एवं अंतरण पश्चात इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त ने उक्त अपराध को अस्वीकार किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने उसे झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या घटना दिनांक 1.10.14 से 05.10.14 के मध्य आरोपी ने दक्षिण ग्राम सोनगुड्डा थाना रूपझर में अवयस्क अभियोक्त्री को उसके अभिभावकगण की सम्मति के बिना अपने ग्राम अढोरी ले जाकर व्यपहरण कारित किया ?
2. क्या उक्त अवधि दिनांक 01.10.14 से 05.10.14 के मध्य आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध ग्राम सोनगुड्डा से ग्राम अढोरी ले जाकर यह जानते हुये कि उसे अयुक्त संभोग के लिये विवश किया जाएगा, व्यपहरण कारित किया ?

3. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री को अपने ग्राम अढोरी ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार कारित किया ?
4. क्या उक्त अवधि में आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री के उपर पेनीट्रेटिव सेक्सुएल एसाल्ट कारित कर पाक्सो एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत अपराध कारित किया ?

अवधार्य प्रश्न क्रमांक-1,2,3 एवं 4 का एक साथ निष्कर्ष:-

5. सर्वप्रथम अभियोक्त्री की आयु का विश्लेषण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अभियोक्त्री तथा उसके अभिभावक मोहपाल सिंह ने घटना के समय उसकी आयु 16 वर्ष दर्शायी है, अभियोक्त्री की मार्कशीट विवेचक आशीष राजपूत द्वारा जप्त की गई है।

6. कमलेश अमूले (अ.सा.7) शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उकवा में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ रहते हुये दाखिल खारिज पंजी के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 01.08.98 बताई है, जो पंजी प्रपी.14 है तथा उसकी प्रतिलिपि प्रपी.14सी है। साक्षी ने जिरह में स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री की उक्त जन्मतिथि कक्षा पांचवी की टी.सी. के आधार पर उनके विद्यालय की दाखिल खारिज पंजी में अंकित की गई थी। अभियोक्त्री के विद्यालय के प्राचार्य कमलेश अमूले ने स्कूल की दाखिल खारिज पंजी के आधार पर उसकी जन्म तारीख 01.08.1998 बतायी है। साक्षी ने जिरह में स्पष्ट किया है कि उन्होंने अभियोक्त्री की उक्त जन्म तारीख कक्षा पांचवी की टी.सी. के अनुसार अंकित किया है।

7. डॉ० डी.के.राउत (अ.सा.14) ने दिनांक 27.10.14 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ रहते हुये अभियोक्त्री का अस्थिपरीक्षण किये जाने पर उसके इलियक क्रेस्ट के आसिफिकेशन सेंटर दिखाई दे रहे थे, जो पूर्णतः जुड़े नहीं थे एवं रेडियस एवं अल्ना हड्डी के निचले भाग के आसिफिकेशन सेंटर जुड़ चुके थे, उसके आधार पर डॉ० डी०के०राउत ने अभियोक्त्री की आयु लगभग 16 वर्ष निर्धारित किया जाना व्यक्त किया है, जिनकी रिपोर्ट प्र०पी०19 है। साक्षी ने जिरह में स्पष्ट किया है कि एक्सरे के आधार पर व्यक्त आयु में 2 वर्ष का अंतर उपर या नीचे हो सकता है।

8. किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार धारा 9(2) एवं 94 तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियम 12 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जब भी किसी किशोर से संबंधित प्रकरण बोर्ड, कमेटी अथवा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो सर्वप्रथम न्यायालय को किशोर की आयु का निर्धारण करना चाहिए। **सतपाल वि० स्टेट ऑफ हरियाणा 2010(8) एस.सी.सी. 714** में दिये गये अभिमतानुसार किशोर की उम्र के निर्धारण के संबंध में स्कूल के रजिस्टर में जन्म दिनांक की प्रतिष्ठा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए जाने से धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है।

9. किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के नियम 12 के अनुसार न्यायालय को सर्वप्रथम अभियोक्त्री की आयु के संबंध में विद्यमान अभिलेख पर विचार करना होगा। इसलिये उम्र के निर्धारण चिकित्सकीय परीक्षण एवं नवीनतम वैधानिक स्थिति में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में वर्णित आयु के पश्चात् ही विचार में लिया जा सकता है। इसलिये अभियोक्त्री की आयु को विचार में लिया जाना आवश्यक है और इस हेतु वही मापदंड विचारण में लिए जा सकते हैं जो कि एक अपचारी के लिए विधि द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

10. अभियोक्त्री की आयु के निर्धारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जरनैलसिंह वि० हरियाणा राज्य (2013) 7 एस.सी.सी. 263** के मामले में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि किशोर की आयु का निर्धारण धारा 68(1) किशोर न्याय(बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम 12 के अनुसार किया जाना चाहिए।

11. अभिलेख पर प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य एवं रेसियो के आधार पर घटना दिनांक को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से नीचे होना पाई जाती है।

12. अभियोक्त्री (अ.सा.-2) ने आरोपी की पहचान संदेह के परे स्थापित किया। अभियोक्त्री ने यह बताया है कि उक्त आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की है। साक्षी ने मात्र दस्तयाबी पंचनामा प्र0पी03, सुपुर्दनामा प्र0पी04, मेडिकल परीक्षण हेतु सहमति पत्र प्रपी05, मौकानक्शा प्रपी06, प्रपी07 एवं प्रपी08 पर केवल फार्मल रूप से हस्ताक्षर किया जाना व्यक्त किया है। अभियोजन ने अभियोक्त्री (अ.सा.-2) को प्रतिकूल घोषित कर भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 154 के अंतर्गत परीक्षण किया है, जिसमें अभियोक्त्री ने अभियोजन कथन के सारवान अंश को अस्वीकार (Disown) किया है। साक्षी ने अपने कथन प्रपी09 का अ से अ भाग— “दिनांक 01.10.14 को दिन में करीब 1:00 बजेसंजू ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर गलत संबंध बनाया” को अस्वीकार किया है अर्थात् अभियोक्त्री (अ.सा.-2) के बयान में आरोपी के विरुद्ध कोई फंसाने वाला तथ्या सामने नहीं आया है।

13. प्रतिकूल घोषित साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा हेतु **रमेश मिश्रा किमिनल अपील** में पारित मत अवलोकनीय है, जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल घोषित साक्षी के बयान का प्रयोग उभयपक्ष द्वारा किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत “उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश मिश्रा ”किमिनल अपील कमांक 884 वर्ष 1996 निर्णय दिनांक 13.8.96 अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

Held that it is equally settled law that the evidence of hostile witness would not be toally rejected, if spoken in favour of the prosecution or the accused, but it can be subject to closest scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence may be accepted.

14. उक्त संबंध में मोहपाल (अ.सा.-3) ने यह व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को उसकी पुत्री अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष थी। साक्षी ने अपने बयान के पैरा एक में आगे यह व्यक्त किया है कि घटना के संबंध में अभियोक्त्री ने उसे कुछ नहीं बताया था। साक्षी ने मात्र

पुलिस को की गई एफ.आई.आर. प्रपी.10 पर फार्मल रूप से हस्ताक्षर करना व्यक्त किया है। इसी प्रकार सुपुर्दनामा प्रपी04 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। साक्षी ने आगे यह व्यक्त किया है कि पुलिस ने अभियोक्त्री की अंकसूची प्रपी.11 एवं प्रपी.12 के द्वारा जप्त किया है तथा नक्शा मौका प्रपी06, प्रपी07, प्रपी08 निर्मित किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी ने आगे यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री ने उसे आरोपी संजू मरावी के संबंध में कुछ नहीं बताया था। अभियोजन ने मोहपाल सिंह (अ.सा.-3) को भी प्रतिकूल घोषित कर जिरह किया है लेकिन उक्त जिरह में आरोपी के विरुद्ध कोई फंसाने वाले तथ्य सामने नहीं आये हैं।

15. इसके विपरीत हंसराम (अ.सा.-5) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 01.10.14 को आरोपी संजू की दादी ने उसे अपने मकान में बुलाया था तथा यह सूचित किया था कि सोनगुड्डा की लड़की (Victim) उसके यहां आई है, जो आरोपी संजू से शादी करने के लिये कह रही है। अभियोक्त्री से पूछताछ करने पर उसने अपना जन्म वर्ष 1998 होना व्यक्त किया था एवं अवयस्क होने के कारण उसे उसके अभिभावकगण के पास छोड़ देने की समझाईश देकर चला गया था।

16. चूंकि प्रमुख साक्षी अभियोक्त्री के बयान में आरोपी के विरुद्ध कोई फंसाने वाले तथ्य नहीं आये हैं। अतः साक्षी हंसराम के बयान के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता अथवा बयान में यह नहीं आया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री को विलुब्ध किया है।

17. डॉ० सुनील सिंह (अ.सा.13) ने दिनांक 07.10.14 को सी.एच.सी. बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुये पुलिस द्वारा लाये जाने पर आरोपी का परीक्षण किये जाने पर द्वितीयक सेक्सुअल लक्षण विकसित होना पाया था तथा उसके अंडरवीयर में वीर्य पाया था तथा आरोपी का अंडरवीयर, सीमन स्लाइड एवं प्यूबिक हेयर साथ आए आरक्षक को सौंप दिया था, रिपोर्ट प्रपी.18 है बचाव पक्ष द्वारा उक्त रिपोर्ट को जिरह में चैलेंज नहीं किया है।

18. डॉ० श्रीमति राखी श्रीवास्तव (अ.सा.-1) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 06.10.14 को शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट में महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना रूपझर द्वारा अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसके शरीर का परीक्षण करने पर बाह्य भाग पर कोई चोट नहीं पायी थी। आंतरिक परीक्षण करने पर अभियोक्त्री का हाईमन फटा हुआ था, उसके गुप्तांग में 2 उंगलियां प्रवेश कर रही थी। साक्षी ने अभियोक्त्री के वैजाइनल स्लाइड निर्मित कर सीलबंद अवस्था में सुपुर्द किया था तथा अभियोक्त्री के प्रेगनेंसी टेस्ट की सलाह दी थी। उक्त परीक्षण की रिपोर्ट प्रपी.1 जारी किया जाना व्यक्त किया है।

19. इसके विपरीत तोपसिंह उइके (अ.सा.11), बिसराम धुर्वे (अ.सा.12), धनेन्द्र कलिहारी (अ.सा.15), डालीचरण पटले (अ.सा.16), नीरज तिवारी (अ.सा.17) विवेचना के फार्मल साक्षी हैं। अतः उनके बयान के आधार पर भी आरोपी को कोई लाभ नहीं मिलता।

20. तोपसिंह उइके (अ.सा.11) ने व्यक्त किया है कि घटना के संबंध में उनके द्वारा प्रपी.16 की कायमी दर्ज की गई थी। नीरज तिवारी (अ.सा.17) ने प्र.पी.10 की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी. 16 रूपझर थाने में दर्ज किया जाना व्यक्त किया है। साक्षी ने आगे यह व्यक्त किया है कि जिला अस्पताल बालाघाट से महिला आरक्षक द्वारा अभियोक्त्री के वैजाइनल स्लाइड सीलबंद पैकेट में थाने पर लाकर प्रस्तुत करने पर प्रपी.15 के द्वारा जप्त किया था। इसी प्रकार बिसराम धुर्वे द्वारा आरोपी की सीमन स्लाइड, अंडरवियर, प्यूबिक हेयर सीलबंद अवस्था में लाये जाने पर जप्ती पत्रक प्रपी.17 निर्मित किया है। आगे यह व्यक्त किया है कि दिनांक 15.11.14 को पुलिस चौकी सोनगुड्डा पर अभियोक्त्री के कथन महिला आरक्षक दयावंती डहाके द्वारा लिपिबद्ध किया एवं उसके कथन की वीडियोग्राफी की गई जिसकी सी.डी. आर्टिकल ए-1 है। साक्षी डालीचरण (अ.सा.18) ने व्यक्त किया है कि हॉस्पिटल से प्राप्त वस्तुएं सीमन स्लाइड एवं प्यूबिक हेयर सीलबंद अवस्था में प्रस्तुत किये जाने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी.17 निर्मित

किया है, जिसके डी से डी भाग पर उपनिरीक्षक आशीष राजपूत के हस्ताक्षर हैं जिन्हें वह अधीनस्थ होने के कारण पहचानता है। डालीचरण ने आगे यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री की कक्षा 7/8वीं की मार्कशीट पुलिस उपनिरीक्षक आशीष राजपूत द्वारा जप्त कर जप्तीपत्रक प्रपी.11 तैयार किया है, जिसके सी से सी भाग पर उपनिरीक्षक आशीष राजपूत तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

21. अभियोक्त्री ने अपने न्यायालयीन बयान में आरोपी के विरुद्ध कोई Incriminating तथ्य प्रकट नहीं किया है। अभियोक्त्री ने न्यायालयीन बयान में अभियोजन कथन को पूर्णतः अस्वीकार (Disown) किया है। साक्षी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के कथन में भी यह व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 01.10.14 को अपने घर से अडोरी गांव अपनी बुआ के घर किसी को बिना बताए गई थी, वहां चार दिन रही, उसके बाद वह अपने घर ग्राम सोनगुड्डा चली गई थी।

22. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के प्रकाश में अभिलेख पर आई उक्त साक्ष्य को देखे तो आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366 (क), 376(1) भा.द.वि. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलस्वरूप आरोपी संजू मेरावी पिता उदेसिंह मेरावी को भा0द0वि0 की धारा 363, 366 (क), 376(1) भा.द.वि. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते हैं।

23. मामले में जप्त संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

दिनांक :- 28 अप्रैल 2018

मेरे बोलने पर मुद्रित।

sd/-

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, ^{Contd.} बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर